भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2722

सोमवार, 28 मार्च, 2022 (7 चैत्र, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोनों के आयात पर प्रतिबंध

2722. डा. एल.हनुमंतय्या:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 9 फरवरी, 2022 को जारी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत ड्रोनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, का वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक उपयोग में, देश के भीतर आयातित ड्रोनों के उपयोग पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा;
(ख) यदि हां, तो संशोधित अनुमति और विनियमों के विशेष संबंध के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार यह मानती है कि वर्तमान अधिसूचना का ड्रोनों के लिए अनाधिकारिक बाजार पर कोई प्रभाव पड़ेगा;
(घ) क्या सरकार ने गैर-विनियमित व्यपार मार्गों से अवैध ड्रोनों पर नियंत्रण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (ङ): जी हां। ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का असर देश के भीतर आयातित ड्रोन के वाणिज्यिक और मनोरंजन हेतु उपयोग पर पड़ेगा।

25 अगस्त 2021 को अधिसूचित ड्रोन नियम, 2021 के नियम 14 के अनुसार, 30 नवंबर, 2021 से पहले भारत में आयातित ड्रोन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार के ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)

प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, ड्रोन आयातकों को 90 दिनों से अधिक की पूर्व सूचना अवधि प्रदान की गई थी।

ड्रोन नियम, 2021 के नियम 14 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, पहले से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए बिना और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त किए बिना, मानव रहित विमान प्रणाली को प्रचालित नहीं करेगा, जब तक कि छूट प्रदान न की गई हो। अवैध ड्रोन का आयात और प्रचालन करना कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2022 की अधिसूचना संख्या 54/2015-2020 के तहत आर एंड डी, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, पूरी तरह से निर्मित (सीबीयू), सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) या पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी) फॉर्म में ड्रोन के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। ।

डीजीएफटी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध के बारे में सूचित किया है और 9 फरवरी 2022 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।